न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म.प्र.)

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक– 413 /2022 उज्जैन, दिनांक– 20/07/2022

मैं **राजेन्द्र सिंह सिंगार**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन पूर्व में पारित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक–321/2022 दिनांक 14/06/2022 में आंशिक संशोधन करते हुए आपराधिक कार्य विभाजन के संबंध में निम्नानुसार क्षेत्राधिकार की स्थानीय परिसीमाएं निश्चित करता हूँ :–

यह आदेश दिनांक ...20 JUL 2022..... से प्रभावशील होगा।

क्र	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थानीय क्षेत्र	कार्य का विवरण
1.	**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन**	जिला उज्जैन, देवास एवं शाजापुर	1– माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक अपराधों से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल)	2– निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों, परिवाद पत्रों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर** शेष समस्त आपराधिक प्रकरण :– **1– माधवनगर** **2– नागझिरी** **3– नानाखेड़ा** **4– आबकारी विभाग** **5– यातायात** **6– एस.टी.एफ. थाना भोपाल की उज्जैन इकाई**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– आयकर अधिनियम, ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978, नापतौल अधिनियम 1983, म.प्र. सिनेमा(रेग्यूलेशन) एक्ट 1952, कॉपी राईट एक्ट 1957, प्रदूषण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– ऐसे समस्त प्रकरण जो विशेष अधिनियम से उत्पन्न हुए हो, जिनका उल्लेख पृथक से अपेक्षित होते हुए, आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, या जिनके अधीन अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	5– खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के, नगर पालिका निगम या नगर पालिका परिषद के द्वारा प्रस्तुत होने

Scanned with CamScanner

			वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	6— नगर पालिका निगम अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	7— मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की समस्त कार्यवाहियॉं।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	8— श्रम आयुक्त कार्यालय उज्जैन से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विभिन्न श्रम अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		जिला उज्जैन	9— सी0जी0एस0टी0 एक्ट से संबंधित प्रकरण / परिवाद।
		जिला उज्जैन	10— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
2.	**श्री राजेश जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— **1— महाकाल**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2— पुलिस थाना **चिमनगंज मण्डी** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3— तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 25,00,001 / — से रूपये 50,00,000 / —तक है।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियां।
3.	**श्री वीरेन्द्र जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना

Scanned with CamScanner

			की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :— **1— नीलगंगा**
		तहसील उज्जैन एवं घट्टिया जिला उज्जैन	2— तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक/परिवाद प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया तहसील उज्जैन	3— तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन व वन्य प्राणी विधि से संबंधित समस्त आपराधिक/परिवाद प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
4.	**श्री वीरेन्द्र वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों, परिवाद पत्रों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर** शेष समस्त आपराधिक प्रकरण :—— **1— चिमनगंज मण्डी**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2— तहसील उज्जैन एवं तहसील घ ाट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि0 1985 (एन0डी0पी0एस0) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त प्रकरण
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3— तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 10,00,001/— से रूपये 25,00,000/—तक है।
		जिला उज्जैन	4— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
7.	**श्री विनायक गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1— **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित**

Scanned with CamScanner

			प्रकरणों को छोड़कर, निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– नरवर**
		तहसील उज्जैन (ग्रामींण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– केन्द्रीय श्रम प्रवर्तन कार्यालय उज्जैन की ओर से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विभिन्न श्रम अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	3– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले विस्फोटक अधिनियम 1884 के समस्त आपराधिक प्रकरण।
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	4– तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 5,00,001/– से रूपये 7,50,000/–तक है।
		जिला उज्जैन	5– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
10.	**श्री कुशाग्र अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरण :– **1– पंवासा**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	2– पुलिस थाना **माधवनगर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र।
		जिला उज्जैन	3– माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियॉं।
14.	**सुश्री अंकिता पलास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उज्जैन**	तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया	1– **ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरण, महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं अन्य मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में आवंटित प्रकरणों को छोड़कर,** निम्नलिखित

Scanned with CamScanner

			पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वालें समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं विविध प्रकरणः— **1— कोतवाली**
		तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया तहसील उज्जैन	2— तहसील उज्जैन एवं घट्टिया सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 1,00,001 / — से रूपये 3,00,000 / —तक है।
		जिला उज्जैन	3— माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ।

20/07/22

(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

प्रतिलिपि :—

क्रमांक— 413 / 2022 उज्जैन, दिनांक—20 / 07 / 2022

1— माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन कमांक डी / 3175 / तीन—10—48 / 98 जबलपुर दिनांक 09—सितम्बर—2009 के पालन मे सादर प्रेषित।

2— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3— माननीय श्री / श्रीमती समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन / खाचरौद / नागदा / महिदपुर / तराना एवं बड़नगर की ओर ई—मेल के माध्यम से सूचनार्थ सादर प्रेषित।

4— श्री / श्रीमती / कु. समस्त ए.सी. जे.एम. / जे.एम.एफ.सी.उज्जैन / खाचरौद / नागदा / बड़नगर / तराना / महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

5— अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन / खाचरौद / नागदा / बड़नगर / तराना / महिदपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6— जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।

7— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सुचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।

20/07/22

(राजेन्द्र सिंह सिंगार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उज्जैन (म0प्र0)

Scanned with CamScanner